[2021] 2 एस.सी.आर. 1164

तमिलनाडु राज्य एवं अन्य

बनाम

के. शोभना आदि आदि

(2020 का दीवानी अपील संख्या 3745–3754)

05 मार्च, 2021

[श्री संजय किशन कौल, श्री दिनेश माहेश्वरी तथा श्री ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्तिगण]

तमिलनाडु सरकारी सेवक (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2016 धारा 27(च)- नियुक्ति में आरक्षण- पदों को भरने की विधि- प्रत्यक्ष भर्ती- रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर सहायक- कुल 356 पद अधिसूचित, जिनमें से 117 रिक्तियाँ (74 लंबित तथा 43 चालू रिक्तियाँ) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) एवं अधिसूचित समुदाय (डीएनसी) के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध- अंतिम चयन सूची प्रकाशित- एमबीसी कोटे के अंतर्गत मेधावी अभ्यर्थियों को लंबित रिक्तियों के विरुद्ध एमबीसी/डीएनसी कोटे में नियुक्त किया गया- उत्तरदाताओं द्वारा चयन सूची को अभिखंडित कराने तथा अपनी नियुक्ति हेतु रिट याचिका दायर कर चुनौती- एकल न्यायाधीश के समक्ष सफलता- रिट अपील- खारिज- अभिनिर्धारित : संपूर्ण भ्रम धारा 27 की गलत व्याख्या के कारण उत्पन्न हुआ, जो नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान करती है धारा 27(च) मात्र यह कहती है कि यदि आरक्षित समुदाय से संबंधित आवश्यक संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, तो जिन रिक्तियों पर चालू वर्ष में चयन नहीं हो सका, उन्हें लंबित रिक्तियाँ माना जाएगा बाद की भर्ती में, संबंधित समुदाय की लंबित रिक्तियाँ तथा चालू रिक्तियाँ पृथक-पृथक घोषित की जानी चाहिए -प्रत्यक्ष भर्ती में पहले लंबित रिक्तियों को समायोजित किया जाना आवश्यक है और उसके

पश्चात ही चालू रिक्तियों को अपीलकर्ताओं ने इस प्रावधान को इस प्रकार पढ़ लिया मानो लंबित रिक्तियाँ अभ्यर्थी की मेधा/रैंक की परवाह किए बिना एमबीसी/डीएनसी श्रेणी के अभ्यर्थियों से ही भरी जानी हों -ऐसे आरक्षण-श्रेणी के अभ्यर्थी, जो अपनी स्वयं की मेधा पर चयनित होते हैं, उन्हें सामान्य श्रेणी के विरुद्ध समायोजित किया जाना चाहिए धारा 27(च) को इस सिद्धांत को निष्प्रभावी करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता धारा 27 आरक्षण से संबंधित है; इसका सामान्य श्रेणी सूची/सामान्य क्रम रिक्तियों से कोई संबंध नहीं है ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने आरक्षण का लाभ मांगे बिना अपनी मेधा पर स्थान प्राप्त किया है, उस चरण तक धारा 27 के दायरे में नहीं आते धारा 27 तब लागू होती है जब मेधा के आधार पर रिक्तियां भरने के पश्चात आरक्षण का चरण आरंभ होता है अतः उपबंध में प्रयुक्त शब्द "पहले" उसी चरण पर लागू होगा; अर्थात पहले लंबित रिक्तियाँ और उसके पश्चात चालू रिक्तियाँ भरी जाएँगी जिस चरण पर सामान्य श्रेणी की रिक्तियां भरी जा रही हों, वहाँ आरक्षित श्रेणी के लिए किसी भी प्रकार की कैरी-फॉरवर्ड या चालू रिक्तियों का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण स्वीकार्य है।

अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया : 1.1 एकल न्यायाधीश का निर्णय विवाद तथा निष्कर्ष के संदर्भ में पूर्णतः स्पष्ट, सुव्यवस्थित और बोधगम्य है। एकल न्यायाधीश ने प्रथम कंडिका में ही विवाद को स्पष्ट कर दिया था, अर्थात यह प्रश्न कि क्या अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य क्रम में समायोजित किया जाना चाहिए था, किंतु उन्हें पिछले वर्ष की अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अधिसूचित समुदाय (एमबीसी/डीएनसी) कोटे की रिक्तियों में समायोजित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप कुछ अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए। यह सही रूप से अंकित किया गया कि संपूर्ण भ्रम तमिलनाडु सरकारी सेवक (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2016 की धारा 27 के

प्रावधानों के गलत पठन के कारण उत्पन्न हुआ, जो नियुक्ति में आरक्षण का उपबंध करती है। धारा 27(च) केवल यह कहती है कि यदि आरक्षण के अंतर्गत आने वाले समुदाय से संबंधित आवश्यक संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, तो जिन रिक्तियों पर चालू वर्ष में चयन नहीं हो सका, उन्हें लंबित रिक्तियाँ माना जाएगा। बाद की भर्ती में, संबंधित समुदाय की लंबित रिक्तियों तथा चालू रिक्तियों को पृथक-पृथक घोषित किया जाना आवश्यक है तथा प्रत्यक्ष भर्ती में पहले लंबित रिक्तियों को समायोजित किया जाना चाहिए और उसके पश्चात ही चालू रिक्तियों को। इस प्रावधान को अपीलकर्ताओं द्वारा इस प्रकार पढ़ लिया गया मानो लंबित रिक्तियाँ अभ्यर्थी की मेधा अथवा उसके द्वारा प्राप्त रैंक की परवाह किए बिना एमबीसी/डीएनसी श्रेणी के अभ्यर्थियों से ही भरी जानी हों। इस मामले में अधिकतम अंक 109 थे और 90 अंक तक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य क्रम में समायोजित किया गया था; अतः ऐसे अभ्यर्थियों का चयन उनकी समुदाय की परवाह किए बिना सामान्य क्रम के अंतर्गत ही किया जाना आवश्यक था। इन्हीं अभ्यर्थियों को लंबित रिक्तियों में समायोजित किए जाने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई। खंडपीठ ने भी आक्षेपित आदेश द्वारा इसी प्रकार का मत व्यक्त किया और यह अवलोकन करते हुए अधिनियम की धारा 27 की व्याख्या से सहमति व्यक्त की कि उपबंध में प्रयुक्त शब्द "पहले" का ऐसे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की प्रस्तुति एवं समायोजन से कोई संबंध नहीं है, जिनमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के वे अभ्यर्थी भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने अपनी स्थिति खुले वर्ग/सामान्य क्रम में केवल मेधा के आधार पर प्राप्त की है। [कंडिका 23, 24][1177-एफ–एच; 1178-ए–डी]

1.2 यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से पूर्णतः सहमत है, क्योंकि इस विषय में किसी प्रकार का निरर्थक तर्क संभव ही नहीं था। यह सिद्धांत कि आरक्षण श्रेणी के वे अभ्यर्थी, जो अपनी स्वयं की मेधा के आधार पर चयनित होते हैं, उन्हें सामान्य

श्रेणी के अंतर्गत समायोजित किया जाना चाहिए कई निर्णयों की श्रृंखला के कारण संदेह से परे है और इस पर कोई विवाद भी नहीं किया गया। अधिनियम की धारा 27(च) को इस मूल सिद्धांत को निष्प्रभावी करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता। उत्तरदाताओं के अधिवक्ता द्वारा यह भी सही रूप से इंगित किया गया कि लंबित रिक्तियों को पहले भरने से संबंधित वरिष्ठता का प्रश्न न तो अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष उठाया गया था और न ही वहाँ विचारित हुआ था; इसे पहली बार इस न्यायालय के समक्ष, वह भी विस्तारपूर्वक, उठाने का प्रयास किया गया, किंतु अंततः यह स्वीकार कर लिया गया कि इसके समर्थन में कोई तथ्यात्मक आधार उपलब्ध नहीं है। [कंडिका 25, 26][1178-डी–जी]

1.3 धारा 27 आरक्षण से संबंधित है और इसका सामान्य अभ्यर्थी सूची/सामान्य क्रम की रिक्तियों से कोई संबंध नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने आरक्षित श्रेणी से होने के बावजूद अपनी स्वयं की मेधा के आधार पर स्थान प्राप्त किया है, उन्होंने आरक्षण का लाभ नहीं माँगा है। अतः उस चरण तक अधिनियम की धारा 27 लागू ही नहीं होती। धारा 27 तभी लागू होती है, जब मेधा के आधार पर रिक्तियां भरने के पश्चात आरक्षण का चरण प्रारंभ होता है। अतः उपबंध में प्रयुक्त शब्द "पहले" उसी चरण पर लागू होगा, अर्थात पहले लंबित रिक्तियाँ भरी जाएँगी और उसके पश्चात चालू रिक्तियाँ। जिस चरण पर सामान्य श्रेणी की रिक्तियां भरी जा रही हों, वहाँ आरक्षित श्रेणी के लिए किसी भी प्रकार की कैरी-फॉरवर्ड अथवा चालू रिक्तियों का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। पदों को भरने की विधि का स्पष्ट प्रतिपादन मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा के. आर. शांति के वाद में किया गया है और प्रतीत होता है कि उसका निरंतर पालन किया जाता रहा है। संभव है कि रसायन विज्ञान विषय (जो प्रश्नगत है) में उत्पन्न विशेष परिस्थिति के कारण चालू वर्ष में यह समस्या उत्पन्न हुई हो, जो पूर्व में सामने नहीं आई थी। वस्तुतः इस न्यायालय के नवीनतम निर्णय सौरव यादव एवं अन्य के वाद के पश्चात किसी प्रकार का कोई

संदेह शेष नहीं रहता, जिसमें रिक्तियों को भरने के चरणों का पुनः संदर्भित किया गया है। वे चरण स्पष्ट हैं : (क) पहले सामान्य मेधा सूची के अनुसार रिक्तियां भरी जाएँगी; (ख) तत्पश्चात संबंधित आरक्षित श्रेणी की लंबित रिक्तियाँ पहले भरी जाएँगी; तथा (ग) उसके पश्चात चालू वर्ष की शेष आरक्षित रिक्तियाँ भरी जाएँगी।

प्रतीत होता है कि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि यह बताया गया है कि सभी लंबित रिक्तियाँ अब भर दी गई हैं। [कंडिका 27–29][1178-एच; 1179-ए–एफ]

हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य **(2014) 3 एस.सी.सी. 92 : [2014] 2 एस.सी.आर. 1 विशिष्ट।**

के. आर. शांति बनाम सचिव, सरकार, शिक्षा विभाग, चेन्नई एवं अन्य **(2012) 7 एम.एल.जे. 241 स्वीकृत।**

सौरव यादव एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य **2020 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1034 अवलंबित।**

राजेश कुमार दारिया बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं अन्य **(2007) 8 एस.सी.सी. 785 : [2007] 8 एस.सी.आर. 972;** *इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ* **1992 अनुपूरक (3) एस.सी.सी. 217 : [1992] 2 अनुपूरक एस.सी.आर. 454;** *आर. के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य* **(1995) 2 एस.सी.सी. 745 : [1995] 2 एस.सी.आर. 35;** *भारत संघ बनाम विरपाल सिंह चौहान* **[1995] 4 अनुपूरक एस.सी.आर. 158;** *रितेश आर. साह बनाम डॉ. वाई. एल. यामुल* **[1996] 2 एस.सी.आर.**

695; *अनिल कुमार गुप्ता एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य*

[1995] 2 अनुपूरक एस.सी.आर. 396 संदर्भित.

नजीर संदर्भ

[2014] 2 एस.सी.आर. 1	**विशिष्ट**	**कंडिका 13**
[2007] 8 एस.सी.आर. 972	**संदर्भित**	**कंडिका 18**
[1992] 2 अनुपूरक एस.सी.आर. 454	**संदर्भित**	**कंडिका 18**
[1995] 2 एस.सी.आर. 35	**संदर्भित**	**कंडिका 18**
[1995] 4 अनुपूरक एस.सी.आर. 158	**संदर्भित**	**कंडिका 18**
[1996] 2 एस.सी.आर. 695	**संदर्भित**	**कंडिका 18**
[1995] 2 अनुपूरक एस.सी.आर. 396	**संदर्भित**	**कंडिका 19**

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2020 का दीवानी अपील संख्या 3745–3754

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.03.2020 को पारित निर्णय एवं आदेश से उद्भूत, 2020 का रिट अपील संख्या 419 तथा 421 से 429 में।

अपीलकर्ताओं की ओर से : बालाजी श्रीनिवासन, अपर महाधिवक्ता; सी. आर्यमा सुंदरम, वरिष्ठ अधिवक्ता; विनोद कन्ना बी.; अभिषेक गुप्ता; अरिंदम घोष अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं की ओर से : वी. गिरि; एन. एल. राजा; श्रीमती वी. मोहन; एस. नागमुथु वरिष्ठ अधिवक्ता; विकास मेहता; वरुण सिंह; सुश्री अंकिता गुप्ता; के. बालू; एम. आर. जोथिमणियन; बी. करुणाकरन; एस. गौथमणि; एम. पी. पार्थिबन; ए. एस. वैरावन; मणि प्रभु;

संतोष; आर. सुधाकरन; के. वी. जगदीश्वरन; सुश्री जी. इंदिरा; सुश्री प्रोमिला; एस. थानंजयन अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय

संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति द्वारा दिया गया।

1. सीमित रोजगार संसाधनों की पृष्ठभूमि में आरक्षण प्रणाली को लागू करने की सतत समस्या से वर्तमान विवाद उत्पन्न हुआ है।

2. दिनांक 12.06.2019 को शिक्षक भर्ती बोर्ड, अपीलकर्ता संख्या 3, द्वारा तमिलनाडु में 2018–2019 के लिए विद्यालय शिक्षा तथा अन्य विभागों में स्नातकोत्तर सहायक एवं शारीरिक शिक्षा निदेशक, ग्रेड–। के पदों पर प्रत्यक्ष भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हुए अधिसूचना जारी की गई। विभिन्न विषयों के लिए भर्ती प्रक्रिया सुचारु रूप से संपन्न हुई, परंतु रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर सहायक के पदों की रिक्तियों को भरने में कुछ विवाद उत्पन्न हुए, जिनमें उत्तरदाता आवेदक थे। अधिसूचना के अनुसार रसायन विज्ञान के लिए कुल 356 पद अधिसूचित किए गए थे, जिनमें से 117 रिक्तियाँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) एवं अधिसूचित समुदाय (डीएनसी) के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध थीं। इन 117 रिक्तियों का विभाजन 74 लंबित रिक्तियाँ तथा 43 चालू रिक्तियाँ के रूप में था।

3. उत्तरदाताओं ने अन्य अभ्यर्थियों के साथ उपर्युक्त पद के लिए ऑनलाइन आवेदन किया तथा दिनांक 28.09.2019 को लिखित परीक्षा में सम्मिलित हुए। प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के पश्चात, अपीलकर्ता संख्या 3 द्वारा दिनांक 20.11.2019 को अंतिम चयन सूची प्रकाशित की गई, किंतु उसमें उत्तरदाताओं के नाम सम्मिलित नहीं थे।

4. उत्तरदाताओं का यह दावा था कि सूची की जाँच करने पर उन्हें यह ज्ञात हुआ कि एमबीसी कोटे के अंतर्गत वे मेधावी अभ्यर्थी, जिनका चयन किसी भी प्रकार के आरक्षण से परे, केवल उनकी मेधा के आधार पर किया जाना था, उन्हें सामान्य रिक्तियों के अंतर्गत विचार नहीं किया गया, बल्कि उन्हें एमबीसी/डीएनसी कोटे में लंबित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त कर दिया गया। इसके कारण उत्तरदाता नियुक्ति से वंचित रह गए। उनका यह कथन था कि मेधावी अभ्यर्थियों को पहले सामान्य क्रम में मेधा के आधार पर रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित किया जाना आवश्यक था और उसके पश्चात लंबित रिक्तियों को भरा जाना चाहिए था तथा अंत में कोटे के अंतर्गत चालू वर्ष की रिक्तियों का समायोजन किया जाना था।

5. उपर्युक्त स्थिति के परिणामस्वरूप मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएँ दायर की गईं, जिनमें अनंतिम चयन सूची को रद्द किए जाने तथा इन उत्तरदाताओं की नियुक्ति किए जाने की प्रार्थना की गई।

6. वास्तविक विवाद तमिलनाडु सरकारी सेवक (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2016 की धारा 27(च) की व्याख्या से उत्पन्न हुआ है और उसी से संबंधित है, जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है। संबंधित धारा इस प्रकार है :

"27. नियुक्तियों के लिए आरक्षण:-

(फ) यदि पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग मुस्लिम, जिनमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा अधिसूचित समुदाय सम्मिलित हैं, से संबंधित योग्य एवं उपयुक्त अभ्यर्थी, उन्हें आवंटित क्रमों में स्थानांतरण द्वारा भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं हों, तो ऐसे आवंटित क्रम समाप्त हो जाएँगे और रिक्तियों के लिए नियुक्ति हेतु चयन क्रमचक्र के अनुसार अगले क्रम द्वारा किया जाएगा :

यह भी उपबंधित है कि प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्ति के मामले में, 1 अप्रैल 1989 से प्रभावी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा अधिसूचित समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण पर प्रतिबंध रहेगा। तथापि, उपर्युक्त अनारक्षण पर प्रतिबंध पिछड़ा वर्ग (अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा अधिसूचित समुदाय को छोड़कर) तथा पिछड़ा वर्ग मुस्लिमों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर लागू नहीं होगा और अतः यदि पिछड़ा वर्ग (अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा अधिसूचित समुदाय को छोड़कर) अथवा पिछड़ा वर्ग मुस्लिमों से संबंधित योग्य एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, तो उन्हें आवंटित क्रम समाप्त हो जाएगा और रिक्ति क्रमचक्र के अनुसार अगले क्रम द्वारा भरी जाएगी। यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा अधिसूचित समुदायों से संबंधित योग्य एवं उपयुक्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए प्रथम प्रयास में उपलब्ध न हो, तो उसी भर्ती वर्ष में अथवा यथाशीघ्र, अगले प्रत्यक्ष भर्ती से पूर्व, संबंधित समुदायों के अभ्यर्थियों के चयन हेतु दूसरा प्रयास किया जाएगा। <u>यदि इसके पश्चात भी ऐसे समुदायों से संबंधित आवश्यक संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, तो जिन रिक्तियों पर चयन नहीं हो सका, वे रिक्तियाँ अगले भर्ती वर्ष तक रिक्त ही रहेंगी और उन्हें 'लंबित' रिक्तियाँ माना जाएगा।</u> <u>**अनुवर्ती वर्ष में, जब उस वर्ष की रिक्तियों अर्थात चालू रिक्तियों के लिए प्रत्यक्ष भर्ती की जाएगी, तब 'लंबित' रिक्तियों की भी प्रत्यक्ष भर्ती हेतु घोषणा की जाएगी और उस विशेष भर्ती वर्ष की रिक्तियों, अर्थात चालू वर्ष की रिक्तियों तथा 'लंबित' रिक्तियों को अनुसूची-IX में दर्शाए गए अनुसार दो पृथक समूहों के रूप में रखा जाएगा। अगले प्रत्यक्ष भर्ती में नियुक्ति के लिए चयन पहले 'लंबित' रिक्तियों के लिए किया जाएगा और उसके पश्चात सामान्य क्रमचक्र का अनुसरण किया जाएगा :"**</u>

7. यह धारा उस सामाजिक दर्शन को प्रतिपादित करती है कि आरक्षित वर्ग की रिक्तियाँ अभ्यर्थियों की अपर्याप्त संख्या के कारण समाप्त नहीं होंगी। अतः सामान्य वर्ग को प्रदान करने के स्थान पर, इन रिक्तियों को एक वर्ष के लिए अग्रेषित करने का प्रावधान किया गया है। यदि अगले वर्ष भी ये रिक्तियाँ नहीं भरी जाती हैं, तो वे अन्य श्रेणियों को चली जाती हैं। तथापि, वास्तविक और निर्णायक प्रश्न धारा 27(च) के तृतीय उपबंध के अंतिम वाक्य से उत्पन्न होता है, जिसमें यह प्रावधान है कि अगली प्रत्यक्ष भर्ती में नियुक्ति हेतु चयन "पहले लंबित रिक्तियों के लिए किया जाएगा और उसके पश्चात सामान्य क्रमचक्र का अनुसरण किया जाएगा।" अतः लंबित रिक्तियों के संदर्भ में "पहले" शब्द से क्या आशय है, इसका अर्थ निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

8. अपीलकर्ताओं का यह वाद है कि धारा के स्पष्ट प्रावधानों को प्रभाव दिया जाना चाहिए, जिसका तात्पर्य यह होगा कि मेधा के आधार पर पहले लंबित रिक्तियों को भरा जाना आवश्यक था। उन रिक्तियों के भर जाने के पश्चात सामान्य क्रम में मेधा के आधार पर नियुक्ति की जानी थी। इस प्रकार, जो अभ्यर्थी मेधा के आधार पर चयनित होते, उन्हें उन रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित किया जाता, जबकि शेष को आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित किया जाता।

9. उत्तरदाता दिनांक 09.01.2020 के निर्णय के द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष सफल हुए तथा उसके विरुद्ध दायर रिट अपीलें आक्षेपित आदेश दिनांक 19.03.2020 द्वारा खारिज कर दी गईं।

10. अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सी. आर्यमा सुंदरम ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि निहित अधिकार केवल 69 % आरक्षण तक ही हो सकता है, जबकि यदि उत्तरदाताओं द्वारा प्रतिपादित दृष्टिकोण को स्वीकार किया जाए, तो यह 69 % से अधिक आरक्षण

की स्थिति उत्पन्न कर देगा। यह भी तर्क दिया गया कि आरक्षण को वैधानिक सीमा से नीचे नहीं लाया गया है और सामान्य वर्ग में चयन का अर्थ यह नहीं है कि वे आरक्षित वर्ग के लाभ के हकदार नहीं हैं।

11. प्रारंभ में यह तर्क प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया कि पूर्व वर्षों की लंबित रिक्तियों के संबंध में वरिष्ठता प्रदान की जानी आवश्यक होगी और यदि उत्तरदाताओं का पक्ष स्वीकार किया जाए, तो उस श्रेणी में कम मेधावी व्यक्ति वरिष्ठता के अधिकारी हो जाएंगे। तथापि, बाद की कार्यवाही में यह स्पष्ट हुआ कि यह तथ्यात्मक स्थिति नहीं थी, क्योंकि लंबित रिक्तियों पर नियुक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता भी उसी वर्ष से मानी जाएगी, जिस वर्ष वे भरी जाती हैं।

12. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 27(च) में प्रयुक्त शब्दों को उनके स्वाभाविक अर्थ में समझा जाना चाहिए और "पहले" शब्द का प्रयोग विधानमंडल द्वारा पूर्ण विचार के साथ तथा एक निश्चित उद्देश्य से किया गया है, जिसे निरर्थक नहीं बनाया जा सकता।

13. अपीलकर्ताओं ने *हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य*[1] पर अवलंबन किया

जिसमें यद्यपि विवाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 की व्याख्या से संबंधित था, तथापि उसमें प्रतिपादित सिद्धांत प्रासंगिक है। इसमें यह कहा गया कि यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि यदि किसी व्याख्या से यह निष्कर्ष निकलता है कि विधानमंडल द्वारा प्रयुक्त कोई शब्द अनावश्यक या निरर्थक हो जाता है, तो ऐसी व्याख्या से बचा जाना चाहिए, क्योंकि यह अनुमान किया जाता है कि विधानमंडल ने अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक शब्द का जानबूझकर और सचेत रूप से प्रयोग किया है। विधिक सूत्र *a verbis legis non estrecedendum*, जिसका अर्थ है कि *"क़ानून के शब्दों से विचलन नहीं किया जाना चाहिए"*, को

1 (2014) 3 एससीसी 92, कंडिका 42 to 45

ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह मानने का कोई आधार नहीं है कि जब विधि की भाषा स्पष्ट हो, तब विधानमंडल से कोई त्रुटि हुई हो। किसी भी विधि में प्रयुक्त किसी शब्द को न तो अनावश्यक माना जा सकता है और न ही उसे निष्प्रभावी या अर्थहीन बनाया जा सकता है, यदि न्यायालय को विधानमंडलीय अभिप्राय को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाना हो।

14. हम हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. नागमुथु द्वारा प्रस्तुत निवेदन को भी संदर्भित करते हैं, जिन्होंने अपीलकर्ताओं के पक्ष का समर्थन किया, क्योंकि उनके मुवक्किल उस व्याख्या के लाभार्थी हैं, जिसे अपीलकर्ता अपनाना चाहते हैं, और इस प्रकार कुछ अन्य आरक्षित श्रेणियों को भी उससे लाभ प्राप्त हुआ है। उनके द्वारा अतिरिक्त रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4 ख) का संदर्भित किया गया, जो इस प्रकार है :

> **"16: सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता-**
>
> (4 बी)- इस अनुच्छेद में कोई बात राज्य को किसी वर्ष की उन रिक्तियों पर विचार करने से नहीं रोकेगी जो उस वर्ष में खंड (4) के तहत किए गए किसी आरक्षण प्रावधान के अनुसार या खंड (4) या खंड (4 ए) के तहत किए गए किसी आरक्षण प्रावधान के अनुसार भरी जानी हैं, उन्हें किसी आगामी वर्ष या वर्षों में भरी जाने वाली रिक्तियों के एक अलग वर्ग के रूप में माना जाएगा, और रिक्तियों के ऐसे वर्ग को उस वर्ष की रिक्तियों के साथ नहीं माना जाएगा जिसमें उन्हें भरा जा रहा है, उस वर्ष की कुल रिक्तियों पर पचास प्रतिशत आरक्षण की सीमा निर्धारित करने के लिए।"

15. प्रस्तुत तर्क यह था कि अपीलकर्ता जो कर रहे थे, वह उक्त संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप था, क्योंकि अग्रेषित आरक्षण को पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में भरा जाना था और

उन्हें उस वर्ष की रिक्तियों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाना था, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रिक्तियों की संख्या सीमित थी।

16. इसके विपरीत, उत्तरदाताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एन. एल. राजा ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि सही प्रक्रिया यह थी कि पहले मेधा के आधार पर सूची तैयार की जाए और उसके पश्चात ही आरक्षण के अनुप्रयोग का प्रश्न उत्पन्न होता है।

17. अतः पहले मेधावी अभ्यर्थी सामान्य मेधा सूची में अपना स्थान ग्रहण करेंगे, जहाँ किसी प्रकार का आरक्षण लागू नहीं होगा। उसके पश्चात आरक्षण लागू होगा, जिसके अंतर्गत पहले लंबित रिक्तियाँ भरी जाएँगी और फिर चालू वर्ष की रिक्तियाँ। संक्षेप में उनका तर्क यह था कि अधिनियम की धारा 27 का मेधा आधारित चयन से कोई संबंध नहीं है और यह केवल उस चरण के पश्चात लागू होती है। आरक्षित रिक्तियों के लिए दो पृथक सूचियाँ तैयार की जानी आवश्यक हैं पहली लंबित सूची और दूसरी चालू वर्ष की सूची। मेधा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का इस सूची के इस भाग से कोई संबंध नहीं है। दिनांक 20.11.2019 की अंतिम चयन सूची की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया गया, जिससे यह प्रदर्शित किया गया कि मेधा सूची किस प्रकार तैयार की गई थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि यही निरंतर और सही प्रथा रही है और यह तथ्य कि यह समस्या केवल रसायन विज्ञान विषय में उत्पन्न हुई, कोई अंतर नहीं डालता, यद्यपि व्यवहार में अब लगभग सभी लंबित रिक्तियाँ भर दी गई हैं।

18. विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में कुछ न्यायिक निर्णयों का संदर्भ दिया। इस सिद्धांत के समर्थन में कि मेधा सूची में सम्मिलित व्यक्ति, उनकी समुदाय की परवाह किए बिना, आरक्षण को प्रभावित नहीं करते क्योंकि उन्हें सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के विरुद्ध समायोजित किया जाता है, *राजेश कुमार दारिया बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं अन्य*[2]

2 (2007) 8 एससीसी 785.

के निर्णय अवलंबित। उक्त निर्णय के कंडिका 9 में ऊर्ध्वाधर आरक्षण तथा क्षैतिज आरक्षण के स्वरूप के बीच अंतर को रेखांकित किया गया है और यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और यदि वे मेधा के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं, तो उनकी संख्या संबंधित पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कोटे के विरुद्ध नहीं गिनी जाएगी। इसे *इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ,*[3] *आर. के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य,*[4] *भारत संघ बनाम विरपाल सिंह चौहान*[5] *तथा रितेश आर. साह बनाम डॉ. वाई. एल. यामुल*[6] से प्रारंभ होकर एक निरंतर दृष्टिकोण बताया गया है। यह सिद्धांत क्षैतिज (विशेष) आरक्षण पर लागू नहीं होता। उदाहरण के लिए, जहाँ अनुसूचित जातियों के सामाजिक आरक्षण के भीतर महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान है, वहाँ उचित प्रक्रिया यह है कि पहले अनुसूचित जातियों के कोटे को मेधा के क्रम में भरा जाए और उसके पश्चात यह देखा जाए कि उनमें से कितने अभ्यर्थी “अनुसूचित जाति महिला” विशेष आरक्षण समूह से संबंधित हैं। यदि ऐसी सूची में महिलाओं की संख्या विशेष आरक्षण कोटे के बराबर या उससे अधिक है, तो विशेष आरक्षण कोटे के लिए आगे किसी चयन की आवश्यकता नहीं होगी। केवल तभी, जब कोई कमी हो, आवश्यक संख्या में अनुसूचित जाति महिलाओं को अनुसूचित जातियों की सूची के निचले भाग से समान संख्या में अभ्यर्थियों को हटाकर सम्मिलित किया जाएगा।

19. इसी प्रकार का दृष्टिकोण *अनिल कुमार गुप्ता एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य*[7] में अपनाया गया है, जिसमें *इंद्रा साहनी* के निर्णय के आधार पर यह मत व्यक्त किया गया कि सही और उचित प्रक्रिया यह है कि पहले खुली कोटा की रिक्तियों को मेधा के आधार

---

3 1992 पूरक (3) एससीसी217.

4 (1995) 2 एससीसी745.

5 (1995) 6 एससीसी684.

6 (1996) 3 एससीसी253.

7 (1995) 5 एससीसी173.

पर भरा जाए और उसके पश्चात प्रत्येक सामाजिक आरक्षण कोटा को भरा जाए। यदि क्षैतिज आरक्षण के लिए निर्धारित कोटा पहले ही पूरा हो चुका है, तो ऐसे क्षैतिज आरक्षण से संबंधित कोई अन्य प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा, (जो कि वर्तमान अपीलों में स्थिति नहीं है।)

20. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि जहाँ तक तमिलनाडु का संबंध है, यह विषय बहुत पहले मद्रास उच्च न्यायालय के *के. आर. शांति बनाम सचिव, सरकार, शिक्षा विभाग, चेन्नई एवं अन्य*[8] के निर्णय द्वारा निपटाया जा चुका है। इसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि खुली कोटा के अंतर्गत मेधा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाना चाहिए और उस चयन में चयनित तथा नियुक्त अभ्यर्थियों की आपसी वरिष्ठता केवल मेधा के आधार पर होगी, न कि पदक्रमसूची बिंदुओं के आधार पर। वहाँ अपनाए जाने वाले चरणों को इस प्रकार स्पष्ट किया गया था :

> "14. उपर्युक्त निर्णयों के अवलोकन से कम से कम दो बातें संदेह से परे स्पष्ट होती हैं। प्रथम, पदक्रमसूची रिक्ति-आधारित नहीं बल्कि केवल पद-आधारित होता है। यह ऊर्ध्वाधर आरक्षण के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के लिए चिन्हित पदों तथा खुली कोटा एवं विशेष आरक्षण के लिए शेष पदों की पहचान करता है। द्वितीय, ऐसे पदों की पहचान करने के पश्चात यह गणना की जानी चाहिए कि वर्तमान चयन में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत कितनी रिक्तियाँ भरी जानी हैं। एक बार पदक्रमसूची का उपयोग कर वर्तमान चयन में प्रत्येक श्रेणी के लिए रिक्तियों की संख्या निर्धारित कर ली जाए, तो उसके बाद चयन की प्रक्रिया में पदक्रमसूची की कोई भूमिका नहीं रहती। विभिन्न श्रेणियों के लिए चिन्हित

---

8 (2012) 7 एम एल जे 241. कंडिका 14, 18 और 19 संयोगवश न्यायमूर्ति एस. नागामुथु द्वारा लिखे गए थे, जबकि वे उस समय न्यायाधीश थे, हालांकि निश्चित रूप से वचनबद्धता का सिद्धांत लागू नहीं हो सकता जब वे अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं!

रिक्तियों की संख्या निर्धारित हो जाने के बाद, प्रत्येक श्रेणी के लिए चयन केवल मेधा के आधार पर, नीचे दिए गए तरीके के अनुसार किया जाना चाहिए :

प्रथम चरण:

(I) खुली कोटा के लिए चिन्हित रिक्तियों के विरुद्ध, जाति, लिंग, दिव्यांगता आदि की परवाह किए बिना, सभी को मेधा के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(II) मेधावी अभ्यर्थियों को सबसे पहले खुली कोटा के अंतर्गत उपर्युक्त रिक्तियों के विरुद्ध चयनित किया जाना चाहिए।

द्वितीय चरण:

(III) प्रथम चरण पूर्ण होने के पश्चात, ऊर्ध्वाधर आरक्षण श्रेणियों की ओर बढ़ते हुए, प्रत्येक श्रेणी के लिए चयन उस विशेष आरक्षित श्रेणी से संबंधित शेष अभ्यर्थियों में से मेधा के आधार पर किया जाना चाहिए।

तृतीय चरण:

(iv) द्वितीय चरण पूर्ण होने के पश्चात, ऊर्ध्वाधर आरक्षण को काटते हुए लागू होने वाले क्षैतिज आरक्षण की जाँच की जानी चाहिए कि क्या क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत नियुक्ति के पात्र अभ्यर्थियों की आवश्यक संख्या ऊर्ध्वाधर आरक्षण के अंतर्गत चयनित हो चुकी है।

(v) यदि ऐसी जाँच में यह पाया जाए कि विशेष आरक्षण को पूरा करने हेतु पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी चयनित नहीं हुए हैं, तो आवश्यक संख्या में विशेष आरक्षण के

अभ्यर्थियों को सामाजिक आरक्षण श्रेणियों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा, जिसके लिए उतनी ही संख्या में अभ्यर्थियों को वहाँ से हटाया जाएगा।

(vi) यहाँ तक कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण के अंतर्गत रिक्तियाँ भरते समय भी, यदि क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है, तो क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत पृथक रूप से कोई और नियुक्ति नहीं की जाएगी।

सावधानी:

(vii) किसी भी स्थिति में, खुली कोटा के अंतर्गत किसी पद पर चयनित अभ्यर्थियों को ऊर्ध्वाधर आरक्षण के अंतर्गत आरक्षित कोटे के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा।"

21. अंत में, इस न्यायालय के हालिया निर्णय *सौरव यादव एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य*[9] का संदर्भ दिया गया। उक्त निर्णय में भी इस सूची को लागू करते समय अपनाए जाने वाले चरणों को कंडिका 14 में पुनः इस प्रकार स्पष्ट किया गया है :

> "**14.** इलाहाबाद स्थित उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा *प्रमोद कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* में दिनांक 20.02.2019 को पारित आदेश में की गई टिप्पणियों पर भी राज्य सरकार ने भरोसा किया है। उस वाद में पुलिस सिपाहियों की उसी चयन प्रक्रिया में स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों, पूर्व सैनिकों तथा महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण का प्रश्न विचाराधीन था। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य की ओर से प्रस्तुत उस टिप्पणी पर विचार किया, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के लिए रिक्तियों का निर्धारण एवं उन्हें भरने के लिए अपनाए गए चरणों को निम्नलिखित रूप में दर्शाया गया था :

9 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 1034.

'भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया को निम्नलिखित शब्दों में वर्णित किया गया है :

__**चरण 3.1**__ : **सूची-1** से खुले वर्ग में कुल अंकों (मेधा) के क्रम में 19158 अभ्यर्थियों का चयन किया जाए। इस सूची में किसी भी राज्य के अभ्यर्थी अथवा किसी भी आरक्षित श्रेणी (अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) के अभ्यर्थी भी सम्मिलित हो सकते हैं। इस सूची को **सूची-1-ए** कहा जाए।

चरण 3.2 : अब चरण 3.1 के पश्चात सूची-1 में शेष बचे अभ्यर्थियों में से ओबीसी श्रेणी के 10345 अभ्यर्थियों का चयन किया जाए। इसमें केवल उत्तर प्रदेश के अधिवास वाले ओबीसी अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इस सूची को **सूची-1-बी** कहा जाए।

__**चरण 3.3**__ : अब चरण 3.1 के पश्चात **सूची-1** में शेष बचे अभ्यर्थियों में से अनुसूचित जाति श्रेणी के 8046 अभ्यर्थियों का चयन किया जाए। इसमें केवल उत्तर प्रदेश के अधिवास वाले अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इस सूची को **सूची-1-सी** कहा जाए।

__**चरण 3.4**__ : अब चरण 3.1 के पश्चात सूची-1 में शेष बचे अभ्यर्थियों में से अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 766 अभ्यर्थियों का चयन किया जाए। इसमें केवल उत्तर प्रदेश के अधिवास वाले अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इस सूची को **सूची-1-डी** कहा जाए।

__**चरण 3.5**__ : यदि सूची-1-सी में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की संख्या आवश्यक 8046 से कम हो, तो यह कमी चरण 3.4 के पश्चात शेष बचे अनुसूचित

जनजाति के अभ्यर्थियों से, यदि उपलब्ध हों, पूरी की जाएगी। यदि इसके बाद भी अनुसूचित जाति का कोटा अपूर्ण रहे, तो कमी वाले पदों को पृथक रूप से दर्शाया जाएगा। इसी प्रकार, यदि अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की संख्या कम हो, तो कमी चरण 3.3 के पश्चात शेष बचे अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से, यदि उपलब्ध हों, पूरी की जाएगी। यदि इसके बाद भी अनुसूचित जनजाति का कोटा अपूर्ण रहे, तो कमी वाले पदों को पृथक रूप से दर्शाया जाएगा।

चरण 3.6 : इस प्रकार अभ्यर्थियों की चार सूचियाँ निम्नलिखित रूप में तैयार की जाएँगी :

सूची-1-ए (खुला वर्ग)	सूची-1-बी (ओबीसी)	सूची-1-सी (अनुसूचित जाति)	सूची-1-डी (अनुसूचित जनजाति)
19158 (जिसमें किसी भी राज्य के सामान्य, ओबीसी तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं)	10345(केवल ओबीसी, उत्तर प्रदेश अधिवास)	8046(केवल अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश अधिवास)	766 (केवल अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश अधिवास)

सूची-1-ए (ओबीसी) सूची-1-बी (ओबीसी) सूची-1-सी (एससी) सूची-1-डी (एसटी)

19158 (इसमें किसी भी राज्य के जनरल, ओबीसी और एसटी शामिल होंगे) 10345 (केवल ओबीसी, उत्तर प्रदेश के निवासी) 10345 (केवल एससी, उत्तर प्रदेश के निवासी) 8046 (केवल एससी, उत्तर प्रदेश के निवासी) 766 (केवल एसटी, उत्तर प्रदेश के निवासी)

चरण 4 : सूची-1 से उन शेष अभ्यर्थियों की एक पृथक सूची तैयार की जाए जो सूची-1-ए, 1-बी, 1-सी तथा 1-डी में सम्मिलित नहीं हैं। इस सूची को सूची-2 कहा जाए।

चरण 4.1 : अब सूची-1-ए से सामान्य वर्ग (उत्तर प्रदेश अधिवास) के स्वतंत्रता सेनानी आश्रित अभ्यर्थियों की संख्या की गणना की जाए। ये अभ्यर्थी ओबीसी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के नहीं होने चाहिए। यदि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 383 या उससे अधिक हो, तो कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं होगी। अन्यथा, सामान्य वर्ग के स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों की कमी को सूची-2 से मेधा के आधार पर पूरा किया जाएगा तथा सूची-1-ए के निचले भाग से समान संख्या में अभ्यर्थियों को हटाकर उन्हें समायोजित किया जाएगा, सिवाय सामान्य वर्ग के स्वतंत्रता सेनानी आश्रित, पूर्व सैनिक, महिला तथा होम गार्ड अभ्यर्थियों के (अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो क्षैतिज आरक्षण के पात्र हों)।'"

22. हमने पक्षकारों के तर्कों का जाँच किया है।

23. सर्वप्रथम, हम विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय की ओर ध्यान देना चाहेंगे, जो हमारे विचार में विवाद तथा निष्कर्ष के संदर्भ में पूर्णतः स्पष्ट एवं सुव्यवस्थित है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रथम ही कंडिका में विवाद को स्पष्ट कर दिया था, अर्थात यह प्रश्न कि क्या उच्च अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में समायोजित किया जाना चाहिए था, जबकि उन्हें गत वर्ष के लिए एमबीसी/डीएनसी कोटा में समायोजित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप कुछ अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए। यह सही रूप से रेखांकित किया गया कि समस्त भ्रम अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों के गलत पाठ से उत्पन्न हुआ, जो नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान करती है। धारा 27(एफ) केवल यह कहती है कि यदि आरक्षित श्रेणी से संबंधित आवश्यक संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं, तो जिन रिक्तियों पर वर्तमान वर्ष में चयन नहीं हो सका, उन्हें लंबित रिक्तियाँ माना जाएगा। इसके पश्चात की भर्ती में, संबंधित समुदाय के लिए लंबित रिक्तियाँ और वर्तमान रिक्तियाँ पृथक-पृथक घोषित की जानी चाहिए तथा प्रत्यक्ष भर्ती में पहले लंबित रिक्तियों को भरा जाना चाहिए और उसके बाद ही वर्तमान रिक्तियों को भरा जाना चाहिए। इस प्रावधान को अपीलकर्ताओं द्वारा इस प्रकार पढ़ा गया मानो लंबित रिक्तियाँ अभ्यर्थी की मेधा अथवा उसके द्वारा प्राप्त रैंक की परवाह किए बिना केवल एमबीसी/डीएनसी श्रेणी के अभ्यर्थियों से ही भरी जानी हों। सर्वाधिक अंक 109 प्राप्त हुए थे और 90 अंकों तक के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में समायोजित किया गया था, अतः ऐसे अभ्यर्थियों का चयन उनकी समुदाय की परवाह किए बिना सामान्य वर्ग में ही किया जाना था। इन्हीं अभ्यर्थियों को लंबित रिक्तियों में समायोजित किए जाने से समस्या उत्पन्न हुई।

24. खंडपीठ ने भी आक्षेपित आदेश द्वारा इसी प्रकार का मत व्यक्त किया और अधिनियम की धारा 27 की व्याख्या से सहमति व्यक्त की। साथ ही यह भी अवलोकन किया कि उस उपबंध में प्रयुक्त शब्द “प्रथम” का ऐसे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों, जिनमें अत्यंत पिछड़ा

वर्ग भी सम्मिलित है, के प्रस्ताव एवं समायोजन से कोई संबंध नहीं है, जिन्होंने खुले वर्ग/सामान्य वर्ग की रिक्तियों में मेधा के आधार पर अपना स्थान प्राप्त किया है।

25. हम अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से पूर्णतः सहमत हैं, क्योंकि उक्त विषय में किसी प्रकार का निरर्थक तर्क संभव नहीं था। यह सिद्धांत कि आरक्षित श्रेणी के वे अभ्यर्थी जो अपनी स्वयं की मेधा के आधार पर चयनित होते हैं, उन्हें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के विरुद्ध समायोजित किया जाना चाहिए, पूर्वोक्त उद्धृत अनेक निर्णयों के प्रकाश में कभी संदेह के अधीन नहीं रहा है और न ही इस पर विवाद किया गया है। हमारे विचार में, धारा 27(च) को किसी भी स्थिति में इस सिद्धांत को निष्प्रभावी करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता।

26. उत्तरदाताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह सही रूप से इंगित किया गया कि लंबित रिक्तियों को पहले भरने से संबंधित वरिष्ठता का प्रश्न न तो अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष उठाया गया था और न ही उस पर विचार किया गया था, बल्कि इसे प्रथम बार इस न्यायालय के समक्ष उठाने का प्रयास किया गया, वह भी विस्तार से। अंततः यह तर्क स्वयं ही समाप्त हो गया, क्योंकि यह स्वीकार कर लिया गया कि इसके समर्थन में कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है

27. इस सिद्धांत में कोई संदेह नहीं है कि यदि किसी विधि में किसी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उसे निरर्थक नहीं ठहराया जा सकता, जैसा कि हरदीप सिंह (उपरोक्त) के वाद में प्रतिपादित किया गया है। तथापि, वर्तमान वाद में तथ्यात्मक स्थिति भिन्न है। यहाँ प्रश्न यह है कि अधिनियम की धारा 27 किस चरण पर लागू होती है और सूची में "प्रथम" सिद्धांत का प्रयोग किस स्थान पर किया जाना है। धारा 27 आरक्षण से संबंधित है और इसका सामान्य अभ्यर्थियों की सूची अथवा सामान्य वर्ग की रिक्तियों से कोई संबंध नहीं है। आरक्षित श्रेणी से संबंधित वे अभ्यर्थी, जिन्होंने अपनी स्वयं की मेधा के आधार पर चयन प्राप्त किया है, उन्होंने

आरक्षण का लाभ नहीं माँगा है। अतः उस चरण तक धारा 27 का कोई अनुप्रयोग नहीं होता। धारा 27 तभी लागू होती है जब आरक्षण का सिद्धांत प्रारंभ होता है, अर्थात मेधा के आधार पर रिक्तियां भर दिए जाने के पश्चात। इस प्रकार,"प्रथम" शब्द का प्रयोग उसी चरण पर होगा, अर्थात पहले लंबित रिक्तियाँ भरी जाएँगी और उसके बाद वर्तमान रिक्तियाँ। जब सामान्य वर्ग की रिक्तियां भरी जा रही होती हैं, उस समय आरक्षित श्रेणी के लिए न तो किसी कैरी फॉरवर्ड का और न ही वर्तमान रिक्तियों का कोई प्रश्न उत्पन्न होता है।

28. हम यह भी संदर्भित करना चाहेंगे कि रिक्तियों को भरने की पद्धति को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा *के. आर. शांति वाद* (उपरोक्त) में भली-भाँति स्पष्ट किया गया है और प्रतीत होता है कि उसका निरंतर पालन किया जाता रहा है। संभव है कि रसायन विषय (जो प्रश्नगत है) में उत्पन्न हुई विशिष्ट परिस्थिति के कारण वर्तमान वर्ष में यह समस्या उत्पन्न हुई हो और पूर्व में ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं हुई हो। वस्तुतः, इस न्यायालय के नवीनतम निर्णय *सौरव यादव एवं अन्य वाद (उपरोक्त)* के पश्चात इस विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता, जिसमें पुनः उन चरणों का संदर्भित किया गया है जिन्हें ऐसी रिक्तियों को भरने के लिए अपनाया जाना है। वे चरण अपने स्वरूप में स्पष्ट हैं और वर्तमान वाद के तथ्यों पर उन सिद्धांतों अथवा चरणों के अनुप्रयोग का अर्थ यह होगा कि-

(क) सर्वप्रथम सामान्य मेधा सूची को भरा जाना चाहिए;

(ख) तत्पश्चात संबंधित आरक्षित श्रेणी की लंबित रिक्तियों को "प्रथम" भरा जाना चाहिए; और

(ग) उसके बाद वर्तमान वर्ष की शेष आरक्षित रिक्तियों को भरा जाना चाहिए।

29. प्रतीत होता है कि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि यह बताया गया है कि सभी लंबित रिक्तियाँ भर दी गई हैं। संबंधित सूची से परिलक्षित अभ्यर्थियों का प्रदर्शन एवं मेधा स्वयं यह दर्शाती है कि कितने अभ्यर्थी बिना किसी आरक्षण का लाभ लिए केवल मेधा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने में सफल हुए जो कि अत्यंत उत्साहजनक पहलू है। एमबीसी/डीएनसी अभ्यर्थियों की संख्या में वृद्धि वास्तव में अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है और न ही यह भारत के संविधान[10] के किसी प्रावधान का उल्लंघन करती है। यद्यपि, इसका यह परिणाम अवश्य होगा कि अन्य विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के कुछ अभ्यर्थी एमबीसी/डीएनसी श्रेणियों की आरक्षित रिक्तियों को भरने के अधिकारी नहीं होंगे, यदि वे रिक्तियां रिक्त रह जातीं।

30. उपर्युक्त के परिणामस्वरूप, अपीलें उपर्युक्त शर्तों के अनुसार खारिज की जाती हैं और पक्षकारों को अपने-अपने व्यय वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

31. हम यह भी संदर्भित करना चाहेंगे कि प्रतीत होता है कि हमारे निर्देशों के अनुपालन में, आक्षेपित निर्णय के अनुसार अभ्यर्थियों ने संभवतः पहले ही कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

दिव्या पांडेय — अपीलें खारिज की जाती हैं।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।

---

10 ये टिप्पणियाँ हमारे समक्ष चल रहे विवाद के संदर्भ में हैं, क्योंकि तमिलनाडु के संबंध में 50% से अधिक आरक्षण का व्यापक मुद्दा अभी भी इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।